# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 13/2019 जिला अलवर

1. मंगतूराम पुत्र लालमन, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
2. गंगाराम पुत्र लालमन, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
3. बर्फी देवी पत्नि लालमन, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
4. प्रहलाद पुत्र भूरिया, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
5. माडिया पुत्र भूरिया, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
6. सुमन पुत्री लालमन, जाति गुर्जर, निवासी खेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र सोहन लाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम सम्मसपुर, तहसील व जिला गुरूग्राम, हरियाणा।
2. राजकुमार पुत्र सोहन लाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम सम्मसपुर, तहसील व जिला गुरूग्राम, हरियाणा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 02.05.2019 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 गलत तरीके पर खिलाफ मनशाये कानून स्वीकार किया गया जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपील काबिल स्वीकार है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित—

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक —22.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 02.05.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण श्री अजय कुमार व राजकुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा 1027/291 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम का सीमा ज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2019 पारित किया गया कि "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 1027/291 रकबा 0.6600 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम की मुस्तकिल पॉईन्ट से पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी कराई जावे।"

Scanned by CamScanner

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 02.05.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.05.2019 मिन अपीलान्ट के बाला–बाला एकतरफा में पारित किया गया है। जिस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 18.07.2019 को जब हुई तब पटवारी हल्का ने गांव में आकर बताया कि आपकी जमीन से लगती हुई आराजी खसरा नम्बर 1027/291 की पैमाईश व पत्थरगढी की जावेगी। जिस पर मिन अपीलान्ट ने वास्तविकता का पता किया तो जानकारी प्राप्त हुई 02.05.2019 को एकतरफा में निर्णय पारीत किया गया है। जिस निर्णय की नकल लेने हेतु मिन अपीलान्ट ने दिनांक 19.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो नकल दिनांक 22.07.2019 को तैयार हुई। 22.07.2019 को ही मिन अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर 29.07.2019 को अपील न्यायालय श्रीमान के प्रस्तुत कर दी। दिनांक 02.05.2019 से अपील प्रस्तुत होने के दिनांक 29.07.2019 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम की तामिल हम अपीलान्टान को नहीं कराई गई। इसलिए हम अपीलान्टान द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पीडित पक्षकार को सुने बगैर कोई आदेश पारीत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय ने अहम बिन्दू पर गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम काननी गलती की है। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 09.06.2018 को जो पैमाईश की गई वह तहसीलदार द्वारा न की जाकर पटवारी हल्का द्वारा की गई है। जबकि उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को पैमाईश कराने के आदेश प्रदान किये थे। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 पर मिन अपीलान्ट ने अपना ऐतराज भी प्रस्तुत किया था और जिसमे स्पष्ट अंकित किया गया कि मैं (अपीलान्ट) उक्त पैमाईश से सन्तुष्ट नहीं हूँ। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 09.06.2018 के आधार पर पत्थरगढी कराने का आवेदन तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उस प्रार्थना पत्र पर बगैर हम अपीलान्ट को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई मिन अपीलान्टान की आराजी खसरा नं. 1028/291 रकबा 0.66 है0 स्थित है। जिस आराजी की पैमाईश कराने का आदेश भी देना चाहिए था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट की आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी कराने के आदेश दिया है व कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2019 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहाँ प्रस्तुत किया कि आराज ख.नं. 1027/291 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पो. की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त आराजी से लगती हुई अपीलान्ट अप्रार्थीगण की आराजी है। अप्रार्थीगण रोज–रोज प्रार्थीमण की आराजी पर कायम डोल को मिसनार करते रहते है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजी की पैमाईश कर बाद पैमाईश उस पर पत्थरगढी करवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटकासिम



Scanned by CamScanner

को आदेश दिये कि उपरोक्त आराजी की पैमाईश करवाई जावे। न्यायालय के आदेश से दिनांक 9.6.2018 को पैमाइश कर मौका पर्चा तैयार किया गया। अप्रार्थीगण उक्त पर्चा मौका के आधार पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा एक हुक्मइम्तनाई का दावा भी अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया जिसका फैसला भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.2017 को किया जा चुका है। जिसमें अप्रार्थीगण को हुक्मइम्तनाई से पाबन्द किया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उक्त मौका पर्चा दिनांक 9.6.2018 के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी नहीं करने दे रहे हैं। पक्षकारों की हाजरी में पुनः पैमाईश कर मौका पर्चा तैयार करवाया जावे। पूर्व में मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के आधार पर पत्थरगढी नहीं की जावे। क्योंकि उपरोक्त पर्चा मौका हमारी गैर हाजरी में तैयार की गयी है। जिससे हम संतुष्ट नहीं है। तहत न्यायालय द्वारा भी यह निर्णय पारित किया गया है कि आराजी ख.नं. 1027/291 रकबा 0.6600 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर की मुस्तकिल पॉईन्ट से पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी की जावे। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को बेजा परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। अपीलांट की मन्शा है कि रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी नहीं हो हो, इसलिये कानून की मन्शा के विपरीत अपील पेश की है जिसमें कोई बल नहीं है। उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकारों की तामिल रेस्पोडेन्ट को नहीं कराई गई। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाव व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 1028/291 रकबा 0.66 है0 स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अंधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः–अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 02.05.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( डॉ. गिरीश पाराशर )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner